भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2696

उत्तर देने की तारीख: 05.08.2025

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

2696. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय वयोश्री योजना को देशभर में क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कोई अधिकतम सीमा है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी सीमाओं का ब्यौरा क्या है और योजना के लाभार्थियों की तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 15000 रुपये तक की मासिक आय वाले और आयु संबंधी दिव्यांगताओं/दुर्बलताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सके। यह योजना 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी 'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण एलिम्को द्वारा आयोजित मूल्यांकन शिविरों के माध्यम से और देश भर में वॉक-इन प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों (पीएमडीके) के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2017 से तमिलनाडु राज्य सहित इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

संलग्नक

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2696, जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

2017 से राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के लाभार्थियों की राज्यवार सूची

राज्यों के नाम	लाभार्थियों की संख्या	उपकरणों की संख्या	उपकरणों का मूल्य रुपये में
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	347	2739	21,46,219.00
आंध्र प्रदेश	9689	45359	5,49,03,351.36
अरुणाचल प्रदेश	2718	22418	2,53,21,139.11
असम	26855	133609	24,17,91,105.52
बिहार	40794	214974	36,24,60,699.43
चंडीगढ़	660	2915	66,03,695.31
छत्तीसगढ	6164	34780	3,88,42,615.05
दिल्ली	7881	48382	5,38,36,291.20
गोवा	5027	23015	3,61,72,904.00
गुजरात	11296	49987	6,60,40,841.49
हरियाणा	30875	164442	22,17,03,905.41
हिमाचल प्रदेश	2539	13122	2,08,45,485.55
जम्मू और कश्मीर	7492	35875	5,75,61,956.55
झारखंड	9436	52193	8,34,22,238.63
कर्नाटक	17010	64921	11,29,91,436.84
केरल	6087	19429	2,99,90,425.55
लद्दाख	323	1555	26,21,461.85
लक्षद्वीप	876	2949	53,30,101.72
मध्य प्रदेश	32671	194080	23,09,87,900.55
महाराष्ट्र	117316	815750	1,05,99,88,619.61
मणिपुर	8271	61856	9,72,01,573.44
मेघालय	10302	65757	8,63,44,659.95
मिजोरम	1678	7092	1,21,13,090.81
नागालैंड	7265	44073	5,39,92,219.97
ओडिशा	10996	53330	9,28,24,215.90
पुदुचेरी	2671	6870	97,97,471.58
पंजाब	11744	60775	10,29,54,176.98
राजस्थान	26886	141330	17,29,88,123.37
सिक्किम	3156	25608	2,91,61,656.60
तमिलनाडु	3707	15242	1,98,37,707.76
तेलंगाना	7557	40311	4,39,26,756.34
दादरा और नगर हवेली	1860	10751	1,78,96,495.46
त्रिपुरा	10377	58600	7,49,86,446.72
उत्तर प्रदेश	139455	761735	1,16,01,98,928.46
उत्तराखंड	6563	39363	4,77,21,577.87
पश्चिम बंगाल	4868	20474	3,70,08,944.01
कुल योग	**593412**	**3355661**	**4,77,25,16,438.95**

*****